MP Industrial Development Corporation Limited

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

No.58/ MPIDC/Estt./Seva Niyam-17/2019/ **Bhopal, Dated .12.2019**

To,

The Business Head,
M.P Online,
4th Floor, DB City, Corporate Park,
Arera Hills, Opp. Zone – I, MP Nagar,
Bhopal - 462011

Sub:- Recruitment for the post of Manager in MPIDC.
Ref.:- Your letter MPO/BD/10599 dated 02.12. 2019.

Dear Sir,

Under subject and reference cited above, we are appending herewith a copy of appointment order no 58/MPIDC/Estt./Seva Niyam -17/ 2018/8293 dated 23.12.2019 pertaining to Managers for display on your portal with immediate effect.

Apropos, kindly do the needful.

Thanking you,

Encls:- As above.
By the order of M.D.

Yours Sincerely

(J.N.Vyas)
Executive Director

No. 58/ MPIDC/Estt./Seva Niyam-17/2019/ 8395 **Bhopal, Dated** 26**.12.2019**

CC :-

1. Chief General Manager MPIDC with direction to get it displayed on MPIDC portal with immediate effect.

Encls:- As above.

Executive Director

कार्यालय प्रति

MP Industrial Development Corporation Limited

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

क्र.58/एमपीआईडीसी/स्था./से.नि.–17/2018/ 8293 भोपाल दिनांक :23/12/19

//आदेश//

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु प्रबंधक पद की सीधी भर्ती के लिए एम.पी. ऑनलाईन भोपाल के पत्र क्रमांक एम.पी.ओ/बी.डी./10599 दिनांक 02.12.2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान पे–बैण्ड–3 रु. 15600–39100 ग्रेड पे 5400 (छठवें वेतनमान) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रबंधक पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर अस्थाई रुप से आगामी आदेश तक के लिए एतद्द्वारा पदस्थ किया जाता है :–

सं.क्र.	आवेदक का आवेदन क्रमांक	प्राप्तांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पता	श्रेणी	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	FC0518000834	332	श्री सरस सुहाने	45 जी, वार्ड न. 07, मोना अस्पताल के पीछे, बरेठ रोड, गंजबासौदा, विदिशा (म.प्र.) – 464221	अनारक्षित	एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. मुख्यालय, भोपाल
2	FC0518000223	304	श्री हिमांशु शर्मा	14/94, दुर्गा भवन, कामता शॉप के पीछे हाउसिंग कॉलोनी, भिण्ड (म.प्र.) – 477001	अनारक्षित	एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. मुख्यालय, भोपाल
3	FC0518000070	304	श्री हिमांशु गौतम	मकान नं.–534, अपेक्स कान्वेन्ट स्कूल के पास, खजरी रोड, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) – 480001	अनारक्षित	एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. मुख्यालय, भोपाल
4	FC0518000924	303	श्री ऋषव कुमार त्रिपाठी	मकान नं.– बी–13/3, डब्ल्यू.सी. एल. कॉलोनी, चाणकपुर, सिल्लेवरा, नागपुर (महाराष्ट्र) – 441109	अनारक्षित	एमपी इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. मुख्यालय, भोपाल
5	FC0518002141	292	श्री देवेन्द्र कुमार साहू	मकान न. 50, पुरुषोत्तम नगर, फेस–1, सेमरा, भोपाल (म.प्र.) – 462010	अन्य पिछड़ा वर्ग	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
6	FC0518001401	285	सुश्री स्वाति धाकड़	बी–723, आनन्द नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.) – 474012	अनारक्षित (महिला–क्षैतिज आरक्षण)	क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर

SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM

7	FC0518001422	276	श्री ब्रजेश कोरी	281, झुनकु वार्ड, देवरी, सागर (म.प्र.) – 470226	अनुसूचित जाति	क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा
8	FC0518000340	252	श्री अंकित निगवाल	61–आर, न्यू कृष्णा बाग कॉलोनी, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.) – 452010	अनुसूचित जन जाति	क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर
9	FC0518000803	222	सुश्री जयश्री छलोत्रे	ग्राम देवला, रैय्यत, पोस्ट, खुटला कलां, तहसील पुनासा, खंडवा (म.प्र.) – 450551	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला–क्षैतिज आरक्षण)	क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर
10	FC0518000650	194	सुश्री प्रियंका डामोर	313 शांतिनाथ पुरी, हवा बंगले के पास, इन्दौर (म.प्र.) – 452009	अनुसूचित जन जाति (महिला–क्षैतिज आरक्षण)	क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर

2. उपरोक्त निगम सेवकों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि निगम सेवा नियम 2017 (वर्तमान एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.) एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961, म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।
3. नियुक्त निगम सेवक की वरिष्ठता का निर्धारण एम.पी.आनॅलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की वरीयता अनुसार रहेगा।
4. यह आदेश चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस द्वारा किए जाने वाले चरित्र सत्यापन के संबंध में दिये गये शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अधीन रहेगा एवं चरित्र सत्यापन के पुलिस प्रतिवेदन में यदि निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
5. नियुक्त निगम सेवक को आदेश जारी होने के पश्चात दिनांक 21.01.2020 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि पश्चात संबंधित अधिकारी के संदर्भ में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
6. शासकीय/अर्द्ध शासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कर्त्तव्य पर उपस्थिति के पूर्व अपने पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. यह नियुक्ति आदेश उसी स्थिति में प्रभावशील होगा यदि सम्बंधित अभ्यर्थी शारीरिक दृष्टि से योग्य होने का जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेगा।
8. संबंधित निगम सेवक को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जाँच उपरांत पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस लौटाएँगे एवं इसमें किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति निर्मित होती है तो अधिकारी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा। इसकी सूचना सम्बंधित अधिकारी द्वारा तत्काल प्रबन्ध संचालक एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व रहेगा।
9. इस आदेश से नियुक्त निगम सेवक के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारुप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।
10. परिवीक्षा अवधि में यदि निगम सेवक पदत्याग करना चाहेगा तो वह एक माह का समयावधि नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा कर सेवा से पृथक हो सकेगा।

11. प्रमाणित किया जाता है कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के समय प्रभावशील मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम–1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधो के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) उपबंधो का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

O/C

(विवेक पोरवाल)
प्रबन्ध संचालक

पृ.क्र.58/एमपीआईडीसी/स्था/से.नि.–17/2018/ 8294-8306 भोपाल दिनांक : 23/12/19
प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कार्यकारी संचालक क्षेत्रीय कार्यालय एम.पी.आई.डी.सी भोपाल/ इन्दौर/ जबलपुर/ रीवा/ ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ।
3. महाप्रबन्धक प्रशासन एम.पी.इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया पृष्ठांकन क्रमांक 2 में वर्णित निर्देश अनुरुप ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ तथा आदेश प्रति निगम वेबसाईट में प्रदर्शित कराएँ।
4. श्री/कुमारी/श्रीमती..की ओर प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आदेश जारी होने के पश्चात दिनांक 21.01.2020 तक निर्धारित कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयावधि के पश्चात नियुक्ति आदेश सम्बधित अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में स्वमेव समाप्त माना जावेगा।

संलग्न :–चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारुप।

प्रबंध संचालक

O/C

(म.प्र ट्रायफेक में प्रबन्धक पद पर नियुक्ति)

शपथ पत्र

मैं ....आयु..............पुत्र/पुत्री/पत्नी..................................निवासी ....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ–

फोटो

1. यह कि मेरा चयन प्रबन्धक मध्यप्रदेश ट्रायफेक के पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहाराया गया हैं और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वार्जित नही किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं जो अभिलेख प्रस्तुत किऐ हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं और जो अभिलेख प्रस्तुत किये गए है,यदि उनमें कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाऐ जाते है, तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्व असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया गया मेरा नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने पर मुझे यदि शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथगृहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहीता ....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ–पत्र कंडिका क्रमांक 1 से 9 तक में दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक...........................को...............................मेरे द्वारा किया गया है।

शपथगृहीता